**भारत सरकार**
**गृह मंत्रालय**
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या 2681**
**दिनांक 05 अगस्त, 2025 / 14 श्रावण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए**

**केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के सेवानिवृत्त कार्मिकों को सीजीएचएस सुविधाएं**

**2681. श्री अमरा रामः**

**क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

**(क) क्या सरकार का सीकर में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के सेवारत एवं सेवानिवृत्त कार्मिकों और उनके परिवारों को सीजीएचएस सुविधा प्रदान करने का विचार है;**

**(ख) यदि हाँ, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और**

**(ग) सरकार का सीकर जिले और सीकर के शेखावाटी क्षेत्र में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के लिए कैंटीन सुविधा कब तक शुरू करने का विचार है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?**

**उत्तर**

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री**

**(श्री नित्यानंद राय)**

(क) और (ख): सेवारत एवं पूर्व केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) कार्मिकों सहित केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 80 शहरों में सीजीएचएस (केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना) सुविधाएँ उपलब्ध हैं। सीजीएचएस सुविधा का विकल्प न चुनने वालों के लिए 1000/- रूपये प्रति माह की दर से निश्चित चिकित्सा भत्ता (एफएमए) या सीएपीएफ की संयुक्त अस्पताल सुविधा के कवरेज का भी प्रावधान है। सीकर जिले के सेवारत एवं पूर्व सीएपीएफ कार्मिक तथा उनके परिवार अपनी नजदीक की सीजीएचएस डिस्पेंसरी/ पैनल में शामिल अस्पताल से भी सीजीएचएस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

(ग): वर्तमान में, सीएपीएफ के सेवारत एवं सेवानिवृत्त कार्मिकों के लाभ हेतु कुल 119 मास्टर भंडार तथा 1816 सहायक भंडार कार्यात्मक हैं, जिनमें से 04 सहायक भंडार सीकर एवं शेखावाटी क्षेत्र में राज्य पुलिस/ पूर्व सीएपीएफ कल्याण संघ द्वारा संचालित है।

*****